न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.07.2024

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 54 / 2024
निर्णय दिनांक : 13.07.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 118 दायर दिनांक – 15.05.2024

संतोष कंवर पत्नी स्व. किशोरसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री आनन्द सिंह राठौड़ एडवोकेट उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की निवासीनी है जिनके रोही ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 138 के खसरा संख्या खसरा संख्या 316 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इजुसिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र मे किशोरसिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही सारोठिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तावजों में नाम किशोरसिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज है। इजुसिंह व किशोरसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।अतः प्रार्थी के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में किशोरसिंह पुत्र रूपसिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी के पति का नाम में किशोरसिंह पुत्र रूपसिंह अंकित है। अतः मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम सारोठिया तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 138 के खसरा संख्या 316 रकबा 13.7578 हैक्टेयर खातेदारी में तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार इजुसिंह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर किशोरसिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़